# कार्यालय नियंत्रक

गो0 ब0 पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर–263145 उत्तराखण्ड

पत्रांकः वि0नि0/बजट/का.आ./281/2234 दिनांकः 11 जनवरी, 2019

## कार्यालय आदेश

प्रबन्ध परिषद् की 193वीं बैठक दिनॉक 19.06.2004 में पारित संकल्प के अनुपालन में निर्गत कार्यालय आदेश संख्या वि0नि0/ई.एस./1163 दिनॉक 20.06.2004 के माध्यम से उपकरण एवं अन्य सामग्री के क्रय, कृषि उत्पादों के विक्रय एवं अग्रिम आहरण सम्बन्धी प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधियान की व्यवस्था स्थापित की गई है।

उक्त के आलोक में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अध्याय 2 के बिन्दु संख्या 34 में वर्णित व्यवस्था के दृष्टिगत विश्वविद्यालय हित में निम्नवत् प्रस्तावित हैः–

I. रू0 25,000.00 से रू0 2,50,000.00 तक के सामग्री आदि के क्रय हेतु क्रयदल के गठन के लिये महाविद्यालयों/विभागों/निदेशालय/फार्म में स्थायीय समिति के गठन हेतु निम्नवत् प्रस्तावित है–

1. अधिष्ठाता/निदेशक/विभागाध्यक्ष (महाविद्यालय हेतु विभागाध्यक्ष अधिष्ठाता होंगे)/मुख्य महाप्रबन्धक (फार्म) अथवा नामित सदस्य (जैसी भी स्थिति हो)
2. नियंत्रक अथवा नामित सदस्य (जैसी भी स्थिति हो)
3. मांगकर्ता/इण्डेन्टर
4. ऐसी सामग्रियों/उपकरण जिसमें भौतिक सत्यापन हेतु तकनीकी दक्ष सदस्य की आवश्यकता होगी इस प्रकार की सामग्रियों/उपकरण हेतु तकनीकी दक्ष सदस्य का चयन/नामित करने हेतु अधिष्ठाता/निदेशक/ विभागाध्यक्ष (महाविद्यालय हेतु विभागाध्यक्ष अधिष्ठाता होंगे)/ मुख्य महाप्रबन्धक (फार्म) अधिकृत होंगे।

II. उपर्युक्त वर्णित बिन्दु संख्या 01 वर्णित व्यवस्था के अन्तर्गत सामग्रियों/उपकरणों के क्रय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अधिष्ठाता/निदेशक/विभागाध्यक्ष (महाविद्यालय हेतु विभागाध्यक्ष अधिष्ठाता होंगे)/मुख्य महाप्रबन्धक (फार्म) द्वारा **बजट की उपलब्धता सुनिश्चित होने की दशा में ही प्रदान की जायेगी। बजट आवंटन की प्रत्याशा में स्वीकृतियॉ न प्रदान की जायें।**

Stores Purchase Office
Receipt No. 1716
Date 14/1/19
GBPUAT, PANTNAGAR
A.A.
Balyan 14.1.19
Officer Incharge, Stores Purchase

नियंत्रक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक/विभागाध्यक्ष/मुख्य महाप्रबन्धक (फार्म)/समस्त उप वित्त नियंत्रक/ समस्त लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार।
2. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।

नियंत्रक

C:2017/Mis/2018 19/I

# कार्यालय नियंत्रक

गो0 ब0 पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर–263145 उत्तराखण्ड

पत्रांक: वि0नि0/बजट/का.आ./281/2506 दिनांक: 21 फरवरी, 2019

## शुद्धि–पत्र

कार्यालय आदेश सं0 वि.नि./बजट/का.आ./281/2234 दिनॉक 11 जनवरी 2019 के द्वितीय पैरा पर उल्लिखित भाग "उक्त के आलोक में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अध्याय 2 के बिन्दु संख्या 34 में वर्णित व्यवस्था के दृष्टिगत विश्वविद्यालय हित में निम्नवत् प्रस्तावित है:

I. रू0 25,000.00 से रू0 2,50,000.00 तक के सामग्री आदि के कय हेतु कयदल के गठन के लिये महाविद्यालयों/विभागों/निदेशालय/फार्म में स्थायीय समिति के गठन हेतु निम्नवत् प्रस्तावित है:"

के स्थान पर "उक्त के आलोक में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अध्याय 2 के बिन्दु संख्या 34 में वर्णित व्यवस्था के दृष्टिगत विश्वविद्यालय हित में निम्नवत् कय समिति गठित की जाती है:

I. रू0 25,000.00 से रू0 2,50,000.00 तक के सामग्री आदि के कय हेतु कयदल के गठन के लिये महाविद्यालयों/विभागों/निदेशालय/फार्म में स्थायीय समिति का गठन निम्नवत् होगा:" यथा संशोधित किया जाता है।

कार्यालय आदेश सं0 वि.नि./बजट/का.आ./281/2234 दिनॉक 11 जनवरी 2019 के अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

नियंत्रक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक/विभागाध्यक्ष/मुख्य महाप्रबन्धक (फार्म)/समस्त उप वित्त नियंत्रक/समस्त लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार।
2. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।

नियंत्रक

Stores Purchase Office
Receipt No. 1861
Date 22-2-19
GBPUAT, PANTNAGAR

file

Officer Incharge, Stores Purchase